

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ दीवानी प्रथम अपील संख्या-141/1997

1. श्री राधेश्याम बडाया (मृतक) जरिए विधिक प्रतिनिधिगण

1/1. श्रीमती गोपाली देवी पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम बडाया, निवासी
बगरूवालों की नसियां, स्टेशन रोड़, जयपुर ।

1/2. श्री चन्द्रभान बडाया पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम बडाया, निवासी
बगरूवालों की नसियां, स्टेशन रोड़, जयपुर ।

1/3. श्री हरिशंकर बडाया पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम बडाया, निवासी
818, गणेशम बंसी पथ, रानी सती नगर, जयपुर ।

1/4. श्री हरि बल्लभ बडाया पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम बडाया, निवासी
बगरूवालों की नसियां, स्टेशन रोड़, जयपुर ।

1/5. श्री राजाराम बडाया पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम बडाया, निवासी
बगरूवालों की नसियां, स्टेशन रोड़, जयपुर ।

—अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

—: बनाम :-

श्रीमती ज्ञान देवी पत्नी श्री श्यामसुंदर झालानी, निवासी 26, किसान मार्ग, टोंक
रेल्वे पुलिया के पास, टोंक रोड़, जयपुर ।

—प्रत्यर्थी/वादिनी

आदेश दिनांक:-

25.01.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री एम.एम.रंजन, वरिष्ठ अधिवक्ता मय

श्री दौलत शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण

प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

1. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा यह सिविल प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02 जयपुर महानगर, जयपुर (जिसे इस निर्णय में आगे 'विचारण न्यायालय' सम्बोधित किया जावेगा) द्वारा सिविल वाद संख्या 165/1996 (270/1985) में पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 05.08.1996 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। (सुविधा की दृष्टि से इस निर्णय में आगे पक्षकारों को "वादिनी" व "प्रतिवादी" सम्बोधित किया जावेगा।)



2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी ने प्रतिवादी राधेश्याम बड़ाया (जिसकी मृत्यु इस अपील के दौरान हो गई) के विरुद्ध एक वाद 13,000/- रुपये की वसूली हेतु इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने वादिनी से दिनांक 21.03.1983 को 13000/- रुपये नकद उधार लेकर इसके प्रमाण में एक प्रोनोट व रसीद निष्पादित की व इस उधार ली गई रकम पर डेढ प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज देना तय किया। वादिनी ने अपने प्रतिनिधि दी अरबन कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, स्टेशन रोड़ जयपुर के जरिए उक्त राशि पर दिनांक 10.01.1985 तक के ब्याज सहित प्रतिवादी से मांग की। परन्तु दिनांक 28.02.1985 को उक्त बैंक ने 51/-रुपये सर्विस चार्ज लगाते हुए 'भुगतान प्राप्त नहीं हुआ' के रिमार्क के साथ दस्तावेज लौटा दिये। प्रतिवादी ने उक्त उधार ली गई राशि, उस पर देय ब्याज व 51/- रुपये बैंक चार्जेज कुल 17549/- रुपये बावजूद तलब व तकाजा अदा नहीं किए जिसकी डिक्री वादिनी प्रतिवादी से प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

3. प्रतिवादी ने वादोत्तर प्रस्तुत कर दिनांक 21.03.1983 या अन्य किसी तिथि को वादिनी से रुपये उधार लिए जाने से इन्कार किया व इस संबंध में यह वर्णित किया कि प्रतिवादी की सास ग्यारसी देवी के भाई ग्यारसी लाल के पुत्र सीताराम झालानी है जिनकी वादिनी पुत्रवधू है। उक्त सीताराम

झालानी ने रूपये देने के नाम पर 13000-13000 रूपये के दो प्रोनोट व रसीद अपनी पुत्रवधु श्रीमती ज्ञानदेवी व श्रीमती मीनादेवी के नाम इस आश्वासन के साथ निष्पादित करा लिये कि इनका रूपया दे दिया जावेगा, परन्तु कोई रकम प्रतिवादी को अदा नहीं की । इसके बाद प्रतिवादी द्वारा बार बार दोनों प्रोनोट रसीदें मांगने पर भी सीताराम झालानी द्वारा उन्हें वापस नहीं किये गये ।

प्रतिवादी ने तो वादिनी को जानता है न उसने वादिनी से कोई रकम उधार ली ।

दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर 'विचारण न्यायालय' द्वारा सत्यमेव जयते विरचित तनकीयात कायम की गई :-

1. आया वादिनी से प्रतिवादी नं दिनांक 21.03.83 को 13,000/- रूपये रोकड़ी उधार लिए व वादिनी के हक में एक प्रोनोट व रसीद निष्पादित किये ।
2. आया प्रतिवादी ने उक्त राशि पर दिनांक 21.03.83 से डेढ रूपया सैंकड़ा माहवार की दर से ब्याज अदा करने का इकरार किया ।
3. आया वादिनी 51/- रूपये बैंक सर्विस चार्जेज के वसूल पाने की अधिकारिणी है ।
4. आया वादिनी के प्रतिनिधि श्री सीताराम जी झालानी ने बयान मजीद के मद नबर-1 ता 6 अनुसार प्रोनोट में मेटेरियल आल्ट्रेशन कर फर्जी कार्यवाही की है । यदि ऐसा है तो दावे पर इसका क्या असर है ।
5. दादरसी ।

पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर तनकी संख्या 1 व 2 को विलोपित किया जाकर तनकी संख्या 1 व 2 निम्न प्रकार विरचित की गई :-

1. आया प्रतिवादी ने वादिनी के प्रतिनिधि श्री सीताराम के धोखे में आकर प्रोनोट व रूपये 13000/- की प्राप्ति रसीद दिनांक



14.03.83 को अग्रिम लिखकर उसकी फोटो स्टेट कॉपी करा ली और सीताराम जी को दे दिये, किन्तु उसको वादिनी ने प्रतिफल की राशि रूपये 13000/- प्राप्त नहीं हुई ।

2. आया वादिनी प्रोनोट व रसीद के अनुसार रूपये 13000/- व उस पर डेढ रूपया सैंकड़ा ब्याज प्रतिवादी से पाने की अधिकारिणी नहीं है ।



5. प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में (डी.ड.-1) हरिशंकर, (डी.ड.-2) नरेन्द्र कुमार, (डी.ड.-3) चन्द्रभान व (डी.ड.-4) अशोक गुप्ता की मौखिक साक्ष्य करायी गई और वादिनी द्वारा (पी.ड.-1) अशोक छाबड़ा की मौखिक साक्ष्य करायी गई । तनकी संख्या -3 पर वादिनी द्वारा बल नहीं देने से यह तनकी इसी प्रकार तय कर दी गई व तनकी संख्या 1 व 2 ,जिनका सिद्धि भार प्रतिवादी पर डाला गया था को विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत करते हुए वादिनी का वाद डिक्री कर दिया जिसके विरुद्ध यह प्रथम अपील है ।

6. इस अपील पर योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया ।

7. योग्य वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थी श्री एम.एम.रंजन का कथन है कि प्रथम तो विद्वान 'विचारण न्यायालय' ने तनकी संख्या 1 व 2 का सिद्धि भार प्रतिवादी पर डालने में सारवान विधिक भूल कारित की है । द्वितीय विद्वान 'विचारण न्यायालय' द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 पर पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री , तथ्यों व विधि के सर्वथा प्रतिकूल है । विद्वान 'विचारण न्यायालय' ने (पी.ड.-1) अशोक छाबड़ा जो कि वादिनी का मुख्तयार बताया गया है कि साक्ष्य पर विश्वास करने में गंभीर व सारवान विधिक भूल कारित की है । विद्वान 'विचारण न्यायालय' ने इस तथ्य पर सही रूप से विचार नहीं किया है कि प्रोनोट व रसीदें उत्तर दिनांकित (Post-dated) थे अथवा नहीं । सीताराम झालानी के कहने पर प्रोनोट व रसीद निष्पादित करना कहा गया था परन्तु सीताराम झालानी को साक्ष्य में वादिनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उनका यह भी कथन है कि तनकी संख्या 1 का जो सिद्धि भार प्रतिवादी पर था उसे साक्ष्य द्वारा प्रतिवादी ने Discharge कर दिया था उसके बाद वादिनी के लिए आवश्यक था कि वह साक्ष्य में आकर प्रतिवादी की साक्ष्य को खण्डित करती लेकिन वादिनी की साक्ष्य स्वीकृत रूप से नहीं करायी गई है। उक्त



साक्ष्य तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पास्ति डिक्री व निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है व यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों पर विचार किया गया व आक्षेपित निर्णय घ डिक्री तथा अधीनस्थ न्यायालय के संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

9. जहां तक योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के इस तर्क का प्रश्न है कि तनकी संख्या 1 व 2 का सिद्धि भार प्रतिवादी पर गलत रखा गया था, में कोई सार नहीं है चूंकि जिस आदेश से पूर्व में विरचित तनकी संख्या 1 व 2 को विलोपित कर उसके स्थान पर नयी तनकी संख्या 1 व 2 विरचित की गई उस आदेश को इस न्यायालय में प्रतिवादी ने निगरानी प्रस्तुत कर चुनौती दी थी लेकिन प्रतिवादी की निगरानी दिनांक 16.08.93 को उक्त आदेश की पुष्टि करते हुए निरस्त कर दी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा रखे गए अन्य तर्कों में भी कोई सार नहीं है चूंकि दोनों तनकीयों का सिद्धि भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी के स्थान पर साक्ष्य में उपस्थित उसके पुत्र व मुख्तयार (पी.ड.1) हरिशंकर बडाया ने जिरह में (प्रदर्श-1) प्रोनोट व (प्रदर्श-2) रसीद पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर व उसकी लिखावट होना स्वीकार किया है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रोनोट फर्जी होने बाबत न तो पुलिस में कोई कार्यवाही की गई और न कोई नोटिस दिया गया। इसी प्रकार (डी.ड.-3) चन्द्रभान, जो कि प्रतिवादी का अन्य पुत्र है, ने भी अपनी जिरह में (प्रदर्श-1) प्रोनोट व (प्रदर्श-2) रसीद पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इस प्रकार (प्रदर्श-1)

प्रोनोट व (प्रदर्श-2) रसीद प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया जाना पूरी तरह प्रमाणित थे । ये दोनों दस्तावेज बिना प्रतिफल के दिनांक 14.03.1983 को ही निष्पादित करा लिए गए थे, इस संबंध में कोई सारवान साक्ष्य प्रतिवादी की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है । इस संबंध में 'विचारण न्यायालय' ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का विस्तार से विवेचन व विश्लेषण कर जो निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं उनमें किसी प्रकार की कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि यह न्यायालय नहीं पाता है । विद्वान 'विचारण न्यायालय' के ये निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित हैं कि यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि प्रोनोट दिनांक 14.03.1983 को ही बिना प्रतिफल निष्पादित करा लिये गए थे । विद्वान 'विचारण न्यायालय' के इन निष्कर्षों में भी कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है कि दोनों दस्तोवजों का निष्पादन साबित होने के बाद धारा 118 नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट के तहत प्रतिफल की उपधारणा है । इस न्यायालय की राय में यद्यपि यह उपधारणा खण्डनीय है लेकिन ऐसी कोई सारवान साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उक्त उपधारणा इस प्रकरण में खण्डित हुई हो। इस संबंध में भी जो निष्कर्ष 'विचारण न्यायालय' ने अभिलिखित किये हैं वे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री पर आधारित हैं जिनमें कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि या प्रतिकूलता नहीं है । इस प्रकार विद्वान 'विचारण न्यायालय' ने तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध कर वादिनी का वाद बाबत वसूली 17498/- रुपये डिक्री किए जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है ।

उपरोक्त विवेचन से इस अपील में कोई सार नहीं होने से एतद्द्वारा निरस्त की जाती है ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)

